

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 47/2020

गिराज पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा जिला दौसा राज०

...अपीलांत

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार सैथल दिनांक 9.11.2020 उनवानी सरकार बनाम गिराज प्रकरण संख्या 318/2020 धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांत पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

:: निर्णय ::



दिनांक 22.06.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैथल ने दिनांक 9.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ०ख० न० 368 रकबा 0.02 है० किस्म सिवायचक भूमि पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का बीनावाला ने एक कतई झूठी व गलत रिपोर्ट अपीलांत के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांत ने राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 368 के रकबा 0.02 है० पर तारबंदी कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की उक्त गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार सैथल ने अपीलांत को बिना तामील करवाये एवं कोई विधिवत सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिये बिना व अपीलांत का कोई अतिक्रमण सिद्ध हुए बिना निर्णय पारित कर अपीलांत को भूमि से बेदखल करने व दो माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल का निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को कोई नोटिस दिये बिना व अपीलांत को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांत को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व अपीलांत का पुनः अतिचार सिद्ध हुए बिना व पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत हुए बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ना ही आज कोई अतिक्रमण है। अपीलांत के खिलाफ पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई थी। कानूनन सजा जैसा आदेश जब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक पुनः अतिचार सिद्ध नहीं हो और पूर्व बेदखली का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ था, किन्तु सजा जैसा आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 318/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गिराज में पारित निर्णय दिनांक 9.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे।



निरंतर2 पर

(Handwritten signature)

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसे अपीलांत की पुत्र वधु द्वारा प्राप्त किया गया। अपीलांत बाद तामील नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत् 2077 में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 368 रकबा 0.02 है0 पर तारबंदी कर कब्जा किया जाना अंकित है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांत को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत बाद तामील नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांत को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। साथ ही पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। अपीलांत द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र का भौतिक सत्यापन तहसीलदार सैथल से कराये जाने पर तहसीलदार सैथल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलांत को दिनांक 20.4.2022 को उपखंड अधिकारी दौसा व राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर रास्ता चालू करा दिया गया है। वर्तमान में अपीलांत का खसरा नंबर 368 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपीलांत की ओर से खसरा नंबर 368 से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा